न्यायालय :- श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.
केम्प सागर संभाग सागर म.प्र.

= =

निग - 17 - II - 16

मुरारी कुर्मी तनय तुलसीराम कुर्मी

निवासी ग्राम गूढा तह0 बटियागढ जिला दमोह म.प्र.

— आवेदक/निगरानीकर्ता

23 NOV 2015

//विरूद्ध//

चेतो अहिरवार तनय गुठालू अहिरवार

निवासी ग्राम गूढा तह0 बटियागढ जिला दमोह म.प्र.

— अनावेदक

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदक की ओर से प्रार्थना है :-

1. यहकि आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग के अपील प्रकरण क्रमांक 192/अ/70/2009-2010 मे पारित आदेश दिनाक 01.10.2015 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करता है ।

//निगरानीके मुख्य तथ्य//

2. यहकि निगरानी कर्ता/आवेदक की भूमि बाके मौजा गूढा पट. ह. नं. 8 रा. नि. मं. फतेहपुर तह0 हटा जिला दमोह स्थित भूमि खसरा नंबर 197/2 रकवा 0.40 हेक्टेयर का भूमि स्वामी है एवं खसरा नंबर 211 रकवा 0.62 हेक्टे. मे से रकवा 0.19 हेक्टे. के हक पर शामिल शरीक मालिक है ।

3. यहकि आवेदक ने उक्त भूमि खसरा नंबर 197/2 जिसका पुराना खसरा नंबर 200 का रकवा .405 हेक्टे. भूमि रजिस्टर्ड बैनामा के जरिये दिनाक 5.6.90 को क्रय कर कब्जा मालकाना प्राप्त किया था एवं भूमि खसरा नंबर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक निगरानी 17–दो/16 जिला दमोह

मुरारी — चेता काछियार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 192/अ–70/09–10 में पारित आदेश दिनांक 1–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।	
	2/ मैने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा आक्षेपित आदेश एवं नस्ती के अभिलेखों का परिशीलन किया ।	
	3/ ऐसा करने पर मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 1–10–15 काफी अस्पष्ट पाता हूँ क्योंकि (एक) उन्होंने पुराने और नए खसरे नम्बरों का मिलान विधिवत करते हुए यह चेक करके अपना निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि किस सर्वे नंबर के कितने भाग पर किस पक्षकार का कब्जा है, और (दो) उन्होंने जब यह लिखा है कि मुरारी के नाम भूमि क्रय के आधार पर अभिलेख में दर्ज है, और साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रारंभ से ही उस पर चेता का कब्जा है, तो वे इस बात पर स्पष्टता नहीं लाई कि मुरारी ने भूमि किससे और कब क्रय की जिससे अभिलेख में उसका नाम चढ़ा । उसका क्रय वैध था या नहीं, और यदि वह वैध था तो मुरारी को कब्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए । (तीसरे) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–11–09 में जब यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार बटियागढ़ ने संहिता में उल्लिखित पालन नहीं किया, तो उन्होंने (अपर आयुक्त ने) इस बिन्दु पर भी अपने आक्षेपित आदेश में कुछ नहीं लिखा ।	
	4/ उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में एवं आधार पर मैं अपर	

निग0 17–दो/16 जिला दमोह

आयुक्त सागर का आक्षेपित आदेश दिनांक 1–10–15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, तथा अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 192/अ–70/09–10 पुनः खोलकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, ऊपर लिखे जा चुके तीनों बिन्दुओं समेत प्रकरण के समस्त सुसंगत बिन्दुओं पर स्पष्ट, पूर्ण एवं बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें, जो वे उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 4 माह में पारित करें ।

आदेश पारित ।

पक्षकार सूचित हो ।

दा0 द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य